भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3470

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन

†3470. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यान्वयन की प्रकृति, स्कूली अवसंरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, डिजिटल शिक्षा, सीखने के परिणामों, निधि उपयोग और समानता संकेतकों के संबंध में सभी राज्यों में 'समग्र शिक्षा' के कार्यान्वयन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई व्यापक आकलन/समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत, जारी, उपयोग की गई केंद्रीय सहायता और खर्च न की गई शेष राशि का छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है और जिन प्रमुख घटकों हेतु निधि का उपयोग किया गया था, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, बालिकाओं के लिए शौचालयों, स्मार्ट कक्षाओं और अन्य बुनियादी शैक्षणिक अवसंरचना में कमियों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों ने निधि के संवितरण में देरी, केंद्रीयकरण में वृद्धि और सीएसएस के दिशानिर्देशों के पुनर्गठन के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या योजना की प्रणालीगत कमियों और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या सामाजिक संपरीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में समान और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिह्नित की गई कमियों को दूर करने और योजना को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट

(एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कमी का आकलन करते हैं और स्कूल की अवसंरचना, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार उपयुक्त पीटीआर के अनुरक्षण के लिए शिक्षक को वेतन सहायता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजिटल पहल, समावेशी शिक्षा और सामाजिक तथा लैंगिक अंतर को कम करने, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने आदि जैसे अन्य घटकों सहित घटक-वार आवंटन के अपने प्रस्ताव एडब्ल्यूपी एंड बी में प्रस्तुत करते है। तत्पश्चात् योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास एक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है जिसे प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धि और डेटा हैंडलिंग) कहा जाता है। यह प्रणाली शिक्षा मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अनुमोदित परिव्यय और अन्य योजना संबंधी जानकारी देखने के अलावा, रिलीज और व्यय का आकलन तथा निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) स्कूल के विभिन्न पहलुओं संबंधी सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के ब्यौरा से डेटा एकत्र करता है। यूडाइज+ डेटा 2025-26 https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications पर उपलब्ध है। यह डेटा मंत्रालय को अवसरंचना की उपलब्धता, छात्र नामांकन, शिक्षक की उपलब्धता आदि का आकलन करने में सहायता करता है।

शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3,6 और 9 के बच्चों के बीच अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए, देश भर के स्कूलों में अधिगम परिणामों के आकलन के लिए बड़े पैमाने पर मूल्यांकन हेतु परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन किया, जिसके निष्कर्ष https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en. पर उपलब्ध हैं।

(ख): समग्र शिक्षा के तहत छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, आवंटित केंद्रीय हिस्सा, जारी केंद्रीय हिस्सा, व्यय (राज्य हिस्से सहित) और दिनांक 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई शेष राशि अनुलग्नक में दी गई है।

(ग): छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अवसंरचना सुविधाओं की प्रतिशत उपलब्धता निम्नानुसार है:

सुविधा	% उपलब्धता
लड़कियों के लिए शौचालय	98.2
पेयजल	99.8
सीडब्लयूएसएन (विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों) के लिए रैंप	87.1
खेल का मैदान	75.8
बिजली	95.7
पुस्तकालय/बुक बैंक/रीडिंग कॉर्नर	99.3
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम (कक्षा 6 और उससे ऊपर)	40.6
विज्ञान विषय वाले स्कूलों में भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला	80.9
विज्ञान विषय वाले स्कूलों में रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला	81.6
विज्ञान विषय वाले स्कूलों में जीव विज्ञान की प्रयोगशाला	81.0
स्रोत: यूडाइज+ 2025-26	

(घ): केंद्र स्तर पर, योजना की निगरानी और सुचारु कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सूचित किए जाने पर, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित शिक्षक प्रशिक्षण, वीएसके कॉल सेंटरों के माध्यम से निगरानी, जिला अधिकारियों के लिए साप्ताहिक वेबिनार, वीएसके कॉल सेंटरों के माध्यम से शिक्षक उपस्थिति जैसी पहलें की जा रही है।

समग्र शिक्षा के तहत, छत्तीसगढ़ सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, अनुसूचित जनजाति की अपरिपूर्ण आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत छात्रावासों का निर्माण, प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म और नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन तथा प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता सहित औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में लाने में सहायता प्राप्त हो सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्रोन्मुखी घटक के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए, सहायक यंत्रों और उपकरणों, ब्रेल किट और पुस्तकों, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ): वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित योजना मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुपालन, योजना के वित्तीय प्रबंधन और खरीद संबंधी मैनुअल, व्यय की गति, आनुपातिक राज्य हिस्से की प्राप्ति, लेखापरीक्षित लेखाओं, बकाया अग्रिम संबंधी विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र आदि के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है।

(च) और (छ): विभाग ने स्कूल स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए प्रशिक्षण भागीदार के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की सहकार्यता से समग्र शिक्षा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा की है। सामाजिक लेखा परीक्षा के तहत योजना के विभिन्न घटकों में प्रणालीगत अंतराल, कार्यान्वयन चुनौतियों और अच्छी प्रथाओं की पहचान की जाती है। निष्कर्ष और सिफारिशें उचित सुधारात्मक और संशोधनात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा किए जाते हैं।

अनुलग्नक

'समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती रूपकुमारी चौधरी और डॉ. कलानिधि वीरस्वामी द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3470 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के तहत आवंटित केंद्रीय हिस्सा, जारी केंद्रीय हिस्सा, व्यय (राज्य हिस्सेदारी सहित) और दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26			दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई राशि
		आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्से सहित व्यय	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्से सहित व्यय	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्से सहित व्यय	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्से सहित व्यय	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्से सहित व्यय	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5637.45	3152.32	3595.56	7402.1	5651.44	3723.61	9532.55	5527.59	3205.53	8484.17	6052.36	5263.53	8939.32	3869.54	6205.02	990.00
2	आंध्र प्रदेश	134853.54	68301.36	147631.7	171258.59	150359.02	195192.8	179657.61	128940.788	265252.90	173293.31	124010.57	201332.36	150932.16	135357.92	262410.06	1663.00
3	अरुणाचल प्रदेश	44215.86	27996.24	37227.29	53369.59	25229.47	51844.6	59601.03	47503.49	80559.25	64447.49	57585.11	91558.62	78323.47	63014.31	59969.07	1762.00
4	असम	197702.88	156156.40	180161.4	251460.08	208086.22	216611.68	260407.29	181046.93	231395.71	288347.22	202677.34	270080.52	368806.99	293009.36	278536.10	30740.00
5	बिहार	382755.00	340608.45	521636.02	501887.29	355459.46	617295.83	502132.66	424173.08	563593.37	499123.47	421781.44	762946.22	601525.04	553372.53	768067.88	230982.00
6	चंडीगढ़	10024.09	10804.09	9084.84	12422.81	10979.21	8987.1	13213.99	11636.31	4952.41	13720.64	11858.35	11006.23	14810.08	12005.58	11872.17	2727.00
7	छत्तीसगढ	88790.33	33236.78	117931.88	113833.06	82800.00	136978.28	120045.11	77659.06	148455.40	126779.26	83065.84	126714.06	118482.35	99340.73	128100.60	64207.00
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	6740.66	2092.45	4144.6	8793.65	6466.66	4672.36	9537.23	4130.25	1792.84	9802.68	5462.64	5741.15	10972.68	6464.84	6022.67	1860.00
9	दिल्ली	31521.05	14588.04	32404.31	37727.38	22193.92	38538.65	37783.60	14608.83	34695.30	55139.51	38539.03	48625.97	56633.22	36574.97	56648.64	21781.00
10	गोवा	1861.00	1102.19	2715.12	2985.77	2985.77	3282.57	3077.84	1875.43	5061.75	2426.79	1633.61	4128.40	2770.98	2424.62	3077.17	70.00
11	गुजरात	100974.38	89375.71	186386.3	137120.75	132125.03	180722.86	133473.51	113253.16	211352.35	160173.72	124554.05	219984.75	143519.86	139673.21	188405.00	65206.00
12	हरियाणा	82538.73	51709.18	105383.82	96350.03	67021.33	113808.34	101502.76	57880.24	93238.02	107632.86	53643.94	111636.32	84604.25	49381.92	89219.26	35714.00
13	हिमाचल प्रदेश	58166.16	31910.05	47072.56	73808.17	55160.13	59693.01	68685.12	48596.96	81863.34	76494.93	52619.99	61908.10	71073.55	67646.43	82908.11	86.00
14	जम्मू और कश्मीर	132021.74	87398.83	77090.76	165059.67	36497.18	127528.62	173649.67	86543.88	110656.30	172160.13	82349.31	93520.20	143599.16	51692.09	110263.60	10988.00
15	झारखंड	90018	85897.13	155085.48	116768.12	115451.63	207757.15	125218.51	110493.28	218299.48	117386.04	107444.41	203249.85	122684.85	113287.66	153991.14	13456.00
16	कर्नाटक	70761.11	47451.63	124390.17	100494.06	86152.48	113039.69	95443.12	82808.79	157928.46	93654.51	86830.33	140482.68	114334.70	107534.08	150362.02	18499.00
17	केरल	25221.99	22512.79	43984.62	34847.00	17815.99	59649.86	34334.47	14165.74	43114.55	42889.42	0.00	25137.19	45890.90	9927.38	42409.27	1393.00
18	लद्दाख	9999.72	5717.55	2738.71	12349.12	1489.36	9019.04	19159.03	5222.63	2308.69	20099.43	13999.80	10230.42	24401.82	19950.81	17096.14	7200.00
19	लक्षद्वीप	573.33	216.15	343.53	786.86	432.99	391.62	575.47	100.05	60.42	741.78	306.12	298.24	881.10	560.52	410.76	169.00
20	मध्य प्रदेश	294630.92	229279.75	425514.18	372787.9	193928.88	416989.7	389333.20	298151.13	472542.61	412209.15	343471.12	508235.74	375084.65	303907.55	477397.71	118859.00
21	महाराष्ट्र	101370.47	69302.88	67536.59	159289.59	90000	154042.29	134800.53	100119.1	302933.31	143859.39	112624.52	247515.11	143182.77	128900.23	200331.26	43198.00
22	मणिपुर	37042.52	18250.19	32168.53	49418.88	40475.7	43466.84	49677.82	25721.89	45315.18	53200.51	46559.15	40432.37	59620.04	33512.85	43642.18	1195.00
23	मेघालय	30584.23	27171.38	40735.1	37515.29	37515.29	42405.51	40496.07	39418.22	66092.91	39882.71	36282.56	65147.72	40658.74	37017.68	38722.61	5716.00
24	मिजोरम	22559.99	17968.14	22360.95	32308.05	14268.09	23373.21	36087.44	27414.06	33846.24	29798.67	21651.76	40422.31	33224.04	17017.73	23546.58	4071.00
25	नगालैंड	21808.76	13734.16	23804.32	28104.5	28104.49	33556.56	33362.73	23125.34	30261.64	28439.24	21140.50	29965.24	36020.06	28100.34	31490.97	5179.00
26	ओडिशा	145334.43	123807.39	226165.38	184107.55	183666.84	310691.13	196376.54	123660.69	285910.35	193480.26	167239.29	270981.25	213955.90	179423.68	282029.35	77138.00
27	पुदुचेरी	1514	1397.54	1946.52	1987.3	1527.52	2408.11	2256.40	1247.37	2643.84	1974.29	1246.03	2701.12	2126.35	873.36	1523.54	0.00
28	पंजाब	54353.29	50127.01	95603.33	71906.33	60504.93	105250.9	71866.49	33111.65	89647.34	70878.25	67813.14	103003.47	94756.42	82309.70	141504.03	2797.00
29	राजस्थान	273019.53	240582.13	444355.54	345219.75	213861.12	477665.95	359233.85	320289.45	506353.57	386553.20	309065.25	467660.38	370507.41	298225.92	448687.56	15008.00
30	सिक्किम	12249.29	10012.46	9904.15	15176.05	10718.96	12879.77	16891.64	13260.51	11326.54	15661.00	12273.95	13783.73	16641.54	11373.38	14974.36	348.00
31	तमिलनाडु	164996.07	159882.18	279038.58	211759.9	210723.33	242863.06	212764.72	187615.54	287638.01	215315.01	36281.00*	112383.97	189642.31	35118.14	168719.24	9156.00
32	तेलंगाना	88061.36	55327.91	95397.23	114385.92	114251.02	164951.52	116557.40	92012.79	175403.52	116271.55	98878.94	169140.89	112421.86	108641.05	182015.37	9021.00
33	त्रिपुरा	31820.19	22692.81	38716.18	38741.08	28672.54	41172.01	44074.73	34132.90	37629.53	45179.94	42002.98	60537.84	50742.20	36171.82	45056.56	1764.00
34	उत्तर प्रदेश	512311.24	204497.10	458475.08	626179.97	381975.27	711005.26	664429.01	427645.13	842877.61	697621.18	626479.22	880939.23	589243.27	562215.15	892457.21	109015.00
35	उत्तराखंड	67262.62	32083.60	57072.76	84444.06	70438.94	43144.96	72768.26	44056.91	70952.51	88371.48	64678.27	75515.54	76780.05	49969.86	55645.52	22946.00
36	पश्चिम बंगाल	133877.32	130974.48	238380.34	177338.04	152204.21	221250.03	176747.91	31129.41	194126.52	174579.86	0.00	187260.20	199839.46	0.00	180118.56	2713.00
	कुल	**3467173.25**	**2487318.45**	**4356183.43**	**4449394.26**	**3215194.42**	**5195854.48**	**4564755.29**	**3238278.58**	**5713287.32**	**4746073.05**	**3482101.90**	**5669470.92**	**4767633.57**	**3677866.93**	**5643837.29**	**937617.00**

*स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त/पीएफएमएस/प्रबंध *वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी*
